भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1016

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

"तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क"

1016: श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में तंबाकू उत्पादों पर एकत्रित उत्पाद शुल्क का राज्य-वार, वर्ष-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ के लिए तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को और बढ़ाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जानकारी **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र-वार जानकारी **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) और (घ):तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की वार्षिक बजट तैयारी के हिस्से के रूप में समीक्षा की जाती है। संघ बजट 2023-24 में, निर्दिष्ट सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) की दर में लगभग 16% की वृद्धि की गई थी।

अनुबंध- I

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के तहत लगाया जाने वाला संघ उत्पाद शुल्क:

टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत एचएस कोड	माल का विवरण	दर
2401	सभी वस्तुएं	शून्य
2402 10	सभी वस्तुएं	शून्य
2402 20 10	फिल्टर सिगरेट के अलावा, जो 65 मिलीमीटर से अधिक की लंबाई की न हो	5 रु. प्रति हजार
2402 20 20	फिल्टर सिगरेट के अलावा, जिनकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से अधिक न हो	5 रु. प्रति हजार
2402 20 30	फ़िल्टर सिगरेट की लंबाई (फ़िल्टर की लंबाई सहित, फ़िल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अधिक न हो	5 रु. प्रति हजार
2402 20 40	लंबाई के फिल्टर सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से अधिक न हो	5 रु. प्रति हजार
2402 20 50	फिल्टर सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 70 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 75 मिलीमीटर लंबाई से अधिक न हो	5 रु. प्रति हजार
2402 20 90	अन्य	10 रु.प्रति हजार
2402 90 10	तम्बाकू के विकल्प वाले सिगरेट	5 रु. प्रति हजार
2402 90 20	तम्बाकू के विकल्प वाले सिगारिलो	शून्य
2402 90 90	अन्य	शून्य
2403 11 10	हुक्का या गुडकू तम्बाकू	0.5%
2403 11 90	अन्य	शून्य
2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण	1%
2403 19 21	पेपर रोल्ड बीड़ियों के अलावा , मशीन की सहायता के बिना निर्मित	5 पैसे प्रति हजार
2403 19 29	अन्य	10 पैसे प्रति हजार
2403 19 90	अन्य	0.5%

2403 91 00	"समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू	0.5%
2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू	0.5%
2403 99 20	चबाने वाले तम्बाकू युक्त पदार्थ	0.5%
2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू	0.5%
2403 99 40	नसवार	0.5%
2403 99 50	नसवार युक्त पदार्थ	0.5%
2403 99 60	तम्बाकू का चूर्म और सत्व	0.5%
2403 99 70	काटे तम्बाकू कार्टे	शून्य
2403 99 90	अन्य	0.5%

(ख) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) जो वित्त अधिनियम 2001 की धारा 136 के तहत *उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है:*

टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत एचएस कोड	माल का विवरण	दर
2402 20 10	फिल्टर सिगरेटों के अलावा, जिनकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक न हो	रु. 230 प्रति हजार
2402 20 20	फिल्टर सिगरेटों के अलावा, जिनकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से अधिक न हो	रु. 290 प्रति हजार
2402 20 30	फ़िल्टर सिगरेट की लंबाई (फ़िल्टर की लंबाई सहित, फ़िल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अधिक न हो	रु. 510 प्रति हजार
2402 20 40	लंबाई के फिल्टर सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से अधिक न हो	रु. 510 प्रति हजार
2402 20 50	लंबाई के फिल्टर सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 70 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 75 मिलीमीटर से अधिक न हो	रु. 630 प्रति हजार
2402 20 90	अन्य	रु. 850 प्रति हजार
2402 90 10	तम्बाकू विकल्प के सिगरेट	रु. 690 प्रति हजार
2403 11 10	हुक्का या गुडकू तम्बाकू	25%

2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण	60%
2403 19 21	पेपर रोल्ड बीड़ियों के अलावा , मशीन की सहायता के बिना निर्मित	रु. 1.00 प्रति हजार
2403 19 29	अन्य	रु. 2.00 प्रति हजार
2403 1990	अन्य	25%
2403 91 00	"समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू	25%
2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू	25%
2403 99 20	चबाने वाले तम्बाकू युक्त पदार्थ	25%
2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू	25%
2403 99 40	नसवार	25%
2403 99 50	नसवार युक्त पदार्थ	25%
2403 99 60	तम्बाकू का चूर्ण और सत्व	25%
2403 99 90	सभी वस्तुएं	25%

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष वार (कैंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रवार)	एचएस कोड 2401 [अविनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू रिफ्यूज]	एचएस कोड 2402 [सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प]	एचएस कोड 2403 [अन्य निर्मित तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू विकल्प; "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू; तम्बाकू चूर्ण और सत्व]	एनसीसीडी सहित उत्पाद शुल्क का भुगतान
2018-19	-	**757**	**477**	**1234**
अहमदाबाद	-	-	120	120
बेंगलुरु	-	204	22	226
भोपाल	-	15	4	19
चेन्नई	-	38	7	45
दिल्ली	-	-	24	24
हैदराबाद	-	75	3	78
कोलकाता	-	61	10	71
लखनऊ	-	-	60	60
मेरठ	-	169	137	306
मुंबई	-	44	-	44
पुणे	-	66	1	67
रांची	-	55	3	58
अन्य	-	30	86	116
2019-20	**2.8**	**1077**	**530**	**1609.8**
अहमदाबाद	0.0	0	158	158
बेंगलुरु	0.1	212	23	235.1
भोपाल	0.0	28	16	44
चेन्नई	0.8	71	7	78.8
दिल्ली	0.0	0	23	23
हैदराबाद	0.0	154	5	159
कोलकाता	1.7	111	9	121.7
लखनऊ	0.0	0	59	59
मेरठ	0.0	261	109	370
मुंबई	0.0	70	0	70
पुणे	0.0	86	1	87
रांची	0.1	82	3	85.1
अन्य	0.1	2	117	119.1
2020-21	**0.5**	**3752**	**1210**	**4962.5**
अहमदाबाद	-	-	455	455
बेंगलुरु	-	685	7	692

भोपाल	-	150	41	191
चेन्नई	-	290	15	305
दिल्ली	-	-	51	51
हैदराबाद	-	579	6	585
कोलकाता	0.1	358	14	372.1
लखनऊ	0.1	-	139	139.1
मेरठ	-	962	183	1145
मुंबई	-	135	-	135
पुणे	-	299	1	300
रांची	0.2	294	4	298.2
अन्य	0.1	-	294	294.1
2021-22	**5.7**	**4304**	**1497**	**5806.7**
अहमदाबाद	-	-	542	542
बेंगलुरु	-	772	77	849
भोपाल	-	170	51	221
चेन्नई	-	320	15	335
दिल्ली	-	-	75	75
हैदराबाद	-	643	6	649
कोलकाता	0.1	398	16	414.1
लखनऊ	0.1	-	176	176.1
मेरठ	-	1072	235	1307
मुंबई	5.2	264	-	269.2
पुणे	-	350	1	351
रांची	0.2	314	5	319.2
अन्य	0.1	1	298	299.1
2022-23	**1.1**	**5268**	**1789**	**7058.1**
अहमदाबाद	-	-	639	639
बेंगलुरु	-	1062	142	1204
भोपाल	-	240	69	309
चेन्नई	0.4	379	16	395.4
दिल्ली	-	-	74	74
हैदराबाद	-	666	7	673
कोलकाता	0.1	548	17	565.1
लखनऊ	0.1	-	176	176.1
मेरठ	-	1220	442	1662
मुंबई	-	380	-	380
पुणे	-	427	2	429
रांची	0.3	346	5	351.3
अन्य	0.2	-	200	200.2

स्रोत: डीजी सिस्टम्स, चेन्नई; आंकड़े अनंतिम हैं और करोड़ रुपये में है

*****